स्वच्छ भारत अभियान के क्रियान्वयन का ग्रामीण जनता पर प्रभाव का अध्ययन

(देवास जिले के विशेष सन्दर्भ में)

कु. सीमा बहोरे
शोधार्थी – वाणिज्य अध्ययनशाला,
विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.)।

शोध संक्षेप

उक्त शोध पत्र देवास जिले के दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्या से दैव निदर्शन विधि द्वारा चयनित प300 उत्तरदाताओं पर आधारित है। जिनमें सर्वाधिक परिवार गरीब, अकुशल, दिहाड़ी मजदूर से मिलने वाली मजदूरी पर आश्रित रहते हैं। गरीबी के कारण न्यूनतम साधनों से अपना गुजारा करते हैं। अस्वच्छता के कारण उत्पन्न बीमारियों ने रोजगार के अवसरों पर बहुत बुरा असर देखने को मिलता है। अस्वच्छता के कारण विभिन्न प्रकार की बीमारियाँ फैली हुई हैं उन पर काबू पाने के लिए स्वच्छ भारत अभियान एक बहुत ही अच्छी योजना है। स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के घरों में शौचालय की उपलब्धता एवं उपयोग करने वाले सदस्यो की संख्या वृद्धि करने में सफल रहा है। शौचालय निर्माण के द्वारा गरीब एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग की महिलाओं के सम्मान वृद्धि, बिमारियों पर नियंत्रण एवं यौन हिंसाओं में कमी आई है।

स्वच्छ भारत अभियान के क्रियान्वयन का ग्रामीण जनता पर प्रभाव का अध्ययन

(देवास जिले के विशेष सन्दर्भ में)

कु. सीमा बहोरे
शोधार्थी – वाणिज्य अध्ययनशाला,
विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.)।
Email : anudubey2581@gmail.com

प्रस्तावना :–

स्वच्छ भारत अभियान के परिप्रेक्ष्य में बापू का स्वच्छता दर्शन अत्यंत प्रासंगिक है। स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा 2 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ।[1] इस योजना का उद्देश्य पूरे देश को स्वच्छ बनाना है। ठोस और द्रव अपशिष्ट निपटान व्यवस्था गाँव में सफाई और सुरक्षित तथा पर्याप्त मात्रा में पीने का पानी उपलब्ध हो। इस अभियान को सफल बनाने के लिए देश के सभी नागरिकों के सहयोग की आशा व्यक्त की गयी। इस अभियान को शुरू करने से पहले ही निर्धारित कर दिया गया कि ये अभियान केवल सरकार का कर्तव्य नहीं बल्कि राष्ट्र को स्वच्छ बनाने की जिम्मेदारी इस देश के सभी नागरिकों की है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भारत की स्वतंत्रता से पहले एक बार कहा था कि स्वच्छता आजादी से कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण है।[2] उन्होंने भारत के लोगों को साफ–सफाई और स्वच्छता के महत्त्व बताया और लोगों को इसे अपने दैनिक जीवन में शामिल करने के लिये प्रोत्साहित किया। बापू के स्वच्छ भारत के सपने को पूरा करने के उद्देश्य से आरंभ किया गया यह अभियान देश में स्वच्छता, अपशिष्ट प्रबंधन और स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिये अत्यंत महत्त्वपूर्ण सिद्ध हुआ है। देश में वर्ष 2011 के पहले 39 प्रतिशत लोगों के लिये शौचालय उपलब्ध था जो आज बढ़कर 69 प्रतिशत हो गए हैं। 248,000 गाँवों और पाँच राज्यों– सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, केरल, उत्तराखंड और हरियाणा को खुले में शौच से मुक्त घोषित कर दिया गया है।[3] भारत में पिछले 15 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय में बड़ी वृद्धि होने के बावजूद खुले में शौच करने वालों की दर लगातार ऊंची बनी हुई थी। यद्यपि खुले में शौच करने वाले लोगों का अनुपात, जो वर्ष 2000 में 66 प्रतिशत था इससे घटकर वर्ष 2015 में 40 प्रतिशत हो गया था, लेकिन यह अभी भी दुनिया के औसत 12 प्रतिशत और उप–सहारा अफ्रीकी देशों के औसत 23 प्रतिशत (विश्व विकास सूचकांक) से काफी अधिक है।[4]

उद्देश्य :–

- देवास जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ भारत अभियान के प्रभाव का अध्ययन करना।
- स्वच्छ भारत अभियान के माध्यम से ग्रामीणों में स्वच्छता के प्रति आए बदलाव का अध्ययन।

साहित्य समीक्षा :–

- अस्थाना, मधु, (2008)[5] जल, स्वच्छता, स्वास्थ्य की सुविधा, स्कूल में एक सफल विद्यालय वातावरण और प्रतिरोध बनाता हैं। साफ–सफाई से तथा स्वच्छ जल से रोगों पर नियन्त्रण पाया गया। यह स्वस्थ शारीरिक ज्ञान के वातावरण की ओर पहला कदम हैं। जो ज्ञान और स्वास्थ्य दोनों में लाभ पहुंचाता है। स्वच्छता की बुनियादी धारणा मानवीय कार्यों को ऐसे तरीके से व्यवस्थित करना है। जिससे जल और भोजन, दूशित न हो। जिससे स्वच्छता और सम्मानीय जीवन प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।
- खाँ, मोहम्मद इसरार राजपाल (2016)[6] के अनुसार स्वास्थ्य और स्वच्छता मानव जीवन के सबसे महत्वपूर्ण तत्व हैं। पूरे देश में स्वच्छता को विकसित करना और स्वच्छता की व्यवस्था करना जन स्वास्थ्य में सर्वाधिक प्रभावी व्यवधानों के बीच है।
- गुप्ता बंदना, (2009)[7] के अनुसार अगले पाँच वर्षों में स्वच्छ भारत लक्ष्य को पूरा करने का उद्देश्य भारत में स्वच्छता व्यवस्था में परिवर्तन लाकर उसे ठीक करना है। जो समस्यायें पर्यावरण से घनिष्टता से जुड़ी हुई है उन्हें काफी हद तक कम करना। ग्रामीण व शहरी अपशिष्ट, कुड़ा–करकट का निस्तारण करना। आज हम जलवायु परिवर्तन, जल प्रदूशण, रासायनिकों के प्रयोग के दुश्प्रभाव का सामना करते हैं।
- धरवेश कठेरिया, निरंजन कुमार, प्रणव मिश्र, (2016)[8] के अनुसार भारत एक विकासशील देश हैं जो स्वच्छता की ओर केन्द्रित करने का प्रयास कर रहा है। राष्ट्र को सुव्यवस्थित करना चाहता है और जलवायु को स्वच्छ बनाने के बिन्दु को व्युत्पन्न करना चाहता है। आधुनिक भारत ये स्वच्छता पर अध्ययन को केन्द्रित करता है।
- सिंह, निशांत. (2018)[9] के अनुसार स्कूली शिक्षा विभाग, साक्षरता, मानवीय संसाधन विकास मंत्रालय तथा भारत सरकार ने एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति हेतु स्वच्छ भारत और स्वच्छ विद्यालय को शुरू किया जो इसका निर्माण, देखरेख तथा शौचालयों की मरम्मत का विवरण देता हैं तथा व्यक्तिगत व संगठित, दानकर्ताओं को आमन्त्रित करता है।
- शुक्ल, डॉ. अरविन्द. (2016)[10] के अनुसार 'हरित लेखांकन अभी तक एक मुख्य मुद्दा है और हमारे देश भाग के विकास के लिए महत्वपूर्ण रूप में लिया जा सकता है जैसे भारत के बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थान एक आवश्यक रूप में प्रारम्भ किये गए बल्कि उच्च स्तर पर नहीं। भारतीयों के विकास को बनाए रखने के लिए बैकिंग और वित्तीय संस्थान को ज्यादा काम करना होगा।

शोध प्रविधि :–

उक्त शोध पत्र के लिए देवास जिले से सविचार निदर्शन विधि द्वारा 4 तहसिलों से दैव–निदर्श विधि द्वारा कुल 300 उत्तरदाताओं से साक्षात्कार अनुसूची द्वारा सर्वेक्षण किया गया है। द्वितीयक समंकों को प्राप्त करने के लिए सरकारी प्रकाशनों, समाचार–पत्र तथा इन्टरनेट आदि का प्रयोग किया गया है। एकत्रित आँकड़ों का वर्गीकरण, सारणीयन, प्रतिशत आदि सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग करके निर्वचन किया गया है।

तथ्य विश्लेषण :–

देवास जिले से दैव निदर्शन विधि द्वारा चयनित साक्षात्कार में सम्मिलित उत्तरदाताओं की व्यक्तिगत जानकारी का वर्णन तालिका – 1 में किया गया है–

तालिका क्रमांक – 1

उत्तरदाता की व्यक्तिगत जानकारी

क्र.	उत्तरदाताओं की व्यक्तिगत जानकारी	वर्गीकरण	(न्यादर्श – 300) प्रतिशत
1	लिंग	पुरूष	42.33
		महिला	57.67
2	आयु	18 से 35 वर्ष	54
		36 वर्ष से अधिक	46
3	शैक्षणिक स्तर	अशिक्षित	15.33
		माध्यमिक अथवा कम	57.67
		स्नातक	27.00
4	परिवार की प्रकृति	एकल	70.33
		संयुक्त	29.67
5	आवासीय मकान का प्रकार	कच्चा	21
		अर्द्ध–पक्का	43
		पक्का	36

स्रोतः– प्राथमिक समंकों पर आधारित।

स्वच्छता अभियान के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए दैव निदर्शन विधि द्वारा चयनित उत्तरदाताओं में 42.33 प्रतिशत पुरूष एवं 57.67 प्रतिशत महिला उत्तरदाता है। आयु के अनुसार वर्गीकरण के अन्तर्गत 54 प्रतिशत उत्तरदाताओं की आयु 18 से 35 वर्ष है। 46 प्रतिशत उत्तरदाता 36 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के अन्तर्गत है। शैक्षणिक योग्यता के अन्तर्गत 15.33 प्रतिशत उत्तरदाता अशिक्षित है। 57.67 प्रतिशत माध्यमिक अथवा कम स्तर तक शिक्षित है। 27 प्रतिशत उत्तरदाता स्नातक स्तर तक शिक्षित है। परिवार की प्रकृति के अन्तर्गत वर्गीकरण में 70.33 प्रतिशत एकल परिवार है। जबकि 29.67 प्रतिशत उत्तरदाताओं के परिवार की प्रकृति संयुक्त है। उत्तरदाता के

आवासीय मकान के प्रकार के अन्तर्गत 21 प्रतिशत मकान कच्चे, 43 प्रतिशत अर्द्ध–पक्का, सर्वाधिक 36 प्रतिशत पक्का मकान है।

तालिका क्रमांक – 2

शौचालय की उपलब्धता एवं उपयोग करने की स्थिति

क्र.	विवरण	शौचालय की उपलब्धता				कुल	
		हाँ		नहीं			
		आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
1	उपयोग करते है	247	82.33	19	6.33	**266**	**81**
2	उपयोग नहीं करते है	22	7.33	12	4.00	**34**	**19**
	कुल	**269**	**89.67**	**31**	**10.33**	**300**	**100**

स्रोतः– प्राथमिक समंकों पर आधारित।

उपरोक्त तालिका के अनुसार सर्वेक्षित 89.67 प्रतिशत घरों में शौचालय की व्यवस्था है जबकि इसके उपयोग करने की प्रवृत्ति के अन्तर्गत मात्र 82.33 प्रतिशत परिवार शौचालय का उपयोग करते है। 7.33 प्रतिशत परिवारों के सदस्य शौचालय की सुविधा उपलब्ध होने के बावजूद उपयोग नहीं करते है। सर्वेक्षण में सम्मिलित 10.33 प्रतिशत परिवारों के पास शौचालय की सुविधा नहीं है जबकि शौचालय की व्यवस्था नहीं होने के बावजूद 6.33 प्रतिशत परिवार के सदस्य सार्वजनीक शौचालय की सुविधा का उपयोग करते हैं। 4 प्रतिशत परिवार पूर्ण रूप से शौचालय का उपयोग नहीं करते हैं।

तालिका क्रमांक – 3

ग्रामीणों द्वारा शौचालय उपयोग नहीं करने के कारण के अनुसार वर्गीकरण

क्र.	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	शौचालय उपयोग करने की आदत नहीं है	97	32.33
2	सीट पर बैठ नहीं सकते	17	5.67
3	गन्दी बदबू	53	17.67
4	पानी का अभाव	87	29.00
5	शौचालय में अन्धेरा होना	13	4.33
6	घुटन (सांस लेने में तकलीफ) महसुस होना	19	6.33
7	अन्य	14	4.67
	कुल	**300**	**100.00**

स्रोतः– प्राथमिक समंकों पर आधारित।

शौचालय का उपयोग नहीं करने के विचार के अन्तर्गत 32.33 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार लोगों को शौचालय के उपयोग की आदत नहीं होने के कारण उपयोग नहीं करते है। 17. 67 प्रतिशत के अनुसार शौचालय में गन्दी बदबू के कारण, 29 प्रतिशत के अनुसार पानी के अभाव

के कारण शौचालय का उपयोग नहीं करते है। 5.67 प्रतिशत शौचालय की सीट पर बैंठ नहीं सकते, 4.33 प्रतिशत के अनुसार शौचालय के कमरों में बीजली की व्यवस्था नहीं होना, 6.33 प्रतिशत घुटन (सांस लेने में तकलीफ) महसुस होना एवं 4.67 प्रतिशत अन्य कारणों से शौचालय का उपयोग नहीं करते है।

तालिका क्रमांक – 4

ग्रामीण क्षेत्रों में कचरा एवं अपशिष्ट निस्तारण की स्थिति

क्र.	विवरण	वर्गीकरण	प्रतिशत
1	घर से निकलने वाले गन्दे पानी की निकासी के लिए नाली उपलब्ध है?	हाँ	23.67
		नहीं	76.33
2	घर से निकलने वाले गन्दा पानी का बहाव किस प्रकार का है?	घर के सामने सड़क की ओर	70.33
		घर के सामने बनी पक्की नाली की ओर	29.67
3	घर से निकलने वाले कचरे को कहाँ फैकते हैं?	घर के सामने अथवा आसपास	27.33
		घर से दूर खुली जगह पर	38.00
		गाँव के बाहर निर्धारित स्थान पर	34.67

स्रोतः– प्राथमिक समंकों पर आधारित।

उपरोक्त तालिका के अनुसार सर्वेक्षित 23.67 प्रतिशत घरों से निकलने वाले गन्दे पानी की निकासी के लिए नाली की व्यवस्था है जबकि 76.33 प्रतिशत घरों में नाली की व्यवस्था नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों के घर से निकलने वाले गन्दा पानी का बहाव के अन्तर्गत 70.33 प्रतिशत घर के सामने खुली सड़क की ओर जबकि मात्र 29.67 प्रतिशत घरों के सामने बनी पक्की नाली की ओर है। घर से निकलने वाले कचरे अथवा अपशिष्ट के निस्तारण के स्थान के अन्तर्गत 27.33 प्रतिशत घर के सामने अथवा आसपास फैंकते है, 38 प्रतिशत घर से दूर खुली जगह पर जबकि 34.67 प्रतिशत गाँव के बाहर निर्धारित स्थान पर कचरे अथवा पशुओं के मल का निस्तारण करते है। ग्रामीण क्षेत्रों में, अपशिष्ट के कुशलतापूर्वक निपटान के लिए प्रणाली की स्थापना की महती आवश्यकता है। इस संदर्भ में, अनेक राज्यों ने अपशिष्ट संग्रहण केन्द्रों, माहवारी स्वच्छता प्रबंधन कार्यकलापों, जैव–गैस संयंत्रों की स्थापना, कम्पोस्ट खाद के गड्ढों के निर्माण, कूड़ेदानों के संस्थापन, कूड़े–करकट के संग्रहण, पृथक्करण और निपटान के लिए प्रणाली, नाली और खारे पानी के गढों के निर्माण की सुविधा और सोख्ता गडढों तथा स्थिरीकरण तालाबों के निर्माण जैसे अनेक कार्यकलाप शुरू किए हैं। इन कार्यकलापों के लिए केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों से बड़ी मात्राा में निधियों का वितरण अपेक्षित है।

तालिका क्रमांक – 5

स्वच्छता सम्बन्धी जानकारी प्रदान करने एवं स्वच्छता के सम्बन्ध में पंचायत/स्थानीय प्रशासन की कार्यप्रणाली से सन्तुष्ट होने की स्थिति

क्र.	विवरण	सन्तुष्ट		असन्तुष्ट		कुल	
		आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
1	हाँ	159	53.00	77	25.67	**236**	**78.67**
2	नहीं	45	15.00	19	6.33	**64**	**21.33**
		204	**68.00**	**96**	**32.00**	**300**	**100.00**

स्रोतः– प्राथमिक समंकों पर आधारित।

स्वच्छता सम्बन्धी जानकारी प्रदान के सम्बन्ध में 78.67 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार स्वच्छता सम्बन्धी जानकारी प्रदान की जाती है। जबकि 21.33 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार स्थानीय प्रशासन द्वारा स्वच्छता सम्बन्धी कोई जानकारी प्रदान नहीं की जाती। स्वच्छता के सम्बन्ध में पंचायत/स्थानीय प्रशासन की कार्यप्रणाली से सन्तुष्ट होने की स्थिति के अन्तर्गत 68 प्रतिशत उत्तरदाता सन्तुष्ट है जबकि 32 प्रतिशत उत्तरदाता स्वछच्ता सम्बधी कार्यप्रणाणी से असन्तुष्ट है।

तालिका क्रमांक – 6

स्वच्छ भारत अभियान के क्रियान्वयन के पश्चात् ग्रामीण लोगों में स्वच्छता सम्बन्धित व्यवहार में परिवर्तन की स्थिति

क्र.	विवरण	हाँ		नहीं		कुल
		आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	
1	क्या स्वच्छ भारत अभियान के बाद से लोगों में गंदगी फैलाने वालों के प्रति विरोध का स्वर बढ़ा है?	249	83.00	51	17.00	**300**
2	क्या आप स्वच्छता के नियमों का पालन स्थान विशेष के आधार पर करते है?	209	69.67	91	30.33	**300**
3	क्या स्वच्छ भारत अभियान के बाद से गंदगी से होने वाली बीमारियों में कमी आई है?	119	39.67	181	60.33	**300**
4	स्वच्छ भारत अभियान के बाद से स्वच्छता हेतु सामाजिक सहयोग बढ़ा रहा है?	197	65.67	103	34.33	**300**
	माध्य	**193.5**	**-**	**106.5**	**-**	**-**

स्रोतः– प्राथमिक समंकों पर आधारित।

स्वच्छता सम्बन्धित व्यवहार में परिवर्तन के अन्तर्गत माध्य 193.5 है अर्थात स्वच्छता सम्बन्धी व्यवहार में परिवर्तन हुआ है। 83 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार स्वच्छ भारत अभियान के बाद से लोगों में गंदगी फैलाने वालों के प्रति विरोध का स्वर बढ़ा है। 69.67 प्रतिशत के अनुसार स्वच्छता के नियमों का पालन स्थान विशेष के आधार पर पालन करने की प्रवृत्ति में वृद्धि हुई है। स्वच्छ भारत

अभियान के बाद से गंदगी से होने वाली बीमारियों में 39.67 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार कमी आई है। जबकि सर्वाधिक 60.33 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार स्वच्छता अभियान के क्रियान्वयन के बावजूद मौसमी एवं अस्वच्छता से उत्पन्न बीमारीयों में कमी नहीं आई है। स्वच्छ भारत अभियान के बाद से स्वच्छता हेतु 65.67 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार सामाजिक सहयोग बढ़ा रहा है। जबकि 34.33 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार स्वच्छता के लिए सामाजिक सहयोग में कोई सुधार नहीं आया है।

स्वच्छता अभियान का ग्रामीण परिवारों पर प्रभाव :–

- **लोगों की विचारधारा में परिवर्तन –** स्वास्थ्य सुरक्षा के विचार से सामान्यतः स्वच्छता व शौचालय के उपयोग के प्रति रूढिगत–विचारों में परिवर्तन हुआ है। ग्रामीण परिवारों में शौचालय के उपयोग में वृद्धि हुई है। स्वच्छता व शौचालय खर्चीला होने पर भी उसे प्रतिष्ठा का माध्यम माना गया है। अतः शौचालय व स्वच्छता की स्थिति में विचारों में परिवर्तन प्राप्त हुआ है।
- **रोजगार के नये अवसर :–** स्वच्छता व शौचालय के उपयोग से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नये आयाम–खुले हैं। संबंधित सामग्री, साधन इत्यादी का उत्पादन, बिक्री, नयी तकनीकों का उपयोग रोजगार के निमित्त बने हैं।
- **विवाह संबंधित विचारों में बदलाव –** शिक्षा व अन्य प्रचार–प्रसार माध्यमों से स्वच्छता के प्रति विचारों में परिवर्तन देखा गया है। लोगों की मानसिकता में सुधार हुआ हैं। शौचालय सुविधायुक्त घरों में अपनी बेटी के विवाह का विचार लोग करने लगे हैं। स्वच्छता व शौचालय का महत्त्व प्रस्थापित हुआ है। जीवनसाथी के चयन में भी मानदंड बदले हैं। शौचालय व स्वच्छतायुक्त घर प्रतिष्ठित माने जा रहे हैं। जिन घरों में इनका अब भी अभाव है उन घरों के बेटे–बेटियों के विवाह में दिक्कते पैदा होती हैं। अतः विवाह संबंधित विचारों में स्वच्छता व शौचालय की बदौलत परिवर्तन हुआ है।
- **व्यावसायिक कोटि में परिवर्तन :–** भारत में सभी को व्यावसाय चुनने का स्वतंत्र अधिकार प्राप्त है। बीते समय में दलित व पिछड़ी जाति के लोगों को शौचालय व स्वच्छता के कार्य अनिवार्यतः करने पड़ते थे। समाज के द्वारा रची गयी यह व्यावसायिक कोटि अपरिवर्तनीय कोटि थी। समयांतार में शौचालय कर्मियों के पुनर्वासन व उद्धार का अभियान प्रारंभ हुआ। आधुनिक शौचालय के विकास से उन लोगों को व्यवसाय चयन करने का मौका मिला। निम्न व दलित लोगों के व्यवसायों में भी अब परिवर्तन आया है। इन जाति की सामाजिक स्थितियों में बदलाव आया है।
- **ग्रामीण समूहों के स्वरूप में परिवर्तन –** ग्रामीण समूहों की रुढिवादिता, मान्यताएँ, वहम, संदेह, जातिभेद, अस्पृश्यता जैसी मानसिकता थी। शौचालय व स्वच्छता संबंधित कार्यों में सफाईकर्मियों

को विभिन्न प्रकार के अन्यायों, भेदभाव व शोषण का शिकार बनना पड़ता था। उन्हे मंदिर में प्रवेश निषेध, कुँए–तालाब से जल उपयोग निषेध, अलग शमशाम, पाठशाला प्रवेशादी के अनूठे नियम प्रवर्तित थे। प्रभावी बिरादरियो का बोलबाला था। आज शौचालय संबंधित नियमों में परिवर्तित होने से सफाई कर्मियों को पर्याप्त स्वतंत्रता प्राप्त हुई है। ग्रामीण समूहों के स्वरूप में आमूल परिवर्तन प्राप्त हुआ है।

- **जन आरोग्य क्षेत्र में परिवर्तन :–** शौचालय की बदौलत जन आरोग्य में सुधार आया है। स्वच्छता व शौचालय लोगों के जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गए हैं। खुले में होने वाली शौचक्रिया पर स्वैच्छिक पाबंदी लग गयी है। स्वच्छतालक्षी विचार, खान–पान संबंधित विचार व आदतों में बदलाव आया है। स्वच्छता के लिए लोग अब जिम्मेदाराना व्यवहार करने लगे हैं। जन जागृति के परिपाकरूप आरोग्य के प्रश्नों का समाधान प्राप्त हुआ है। स्वास्थ्य के सुधार में स्वच्छता व शौचक्रिया की अहम् भूमिका रही है।
- **शौचालय एक सामाजिक प्रतिष्ठा –** शौचालय व स्वच्छता से सामाजिक परिवर्तन प्राप्त होता रहा है। इनकी प्रभावोत्पादकता के संदर्भ में अब कोई संदेह की स्थिति नहीं है। घर में शौचालय होना प्रतिष्ठा का कारण बन गया है। जैसे जागीर, धनसंपति व गहनों का महत्त्व है वैसे ही अब शौचालय को प्रतिष्ठा का कारक माना जा रहा है। गाँव के इज्जतदार लोगों में उनकी गिनती होती है, जिनके अपने घरों में शौचालय है। घर का जनाना वर्ग तथा अतिथिगण शौचक्रिया में संकोच का अब अनुभव नहीं करते।
- **स्थानांतरण पर नियंत्रण –** शौचालय का अभाव स्थानांतरण का महत्वपूर्ण कारण है। कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी निःसंकोच रूप से ग्रामीण खुले में शौचक्रिया करते हैं। आज शिक्षा के प्रचार प्रसार से, संचार माध्यमों के प्रभाव से लोगों के मन में शौचालय की गरिमा का ख्याल विकसित होने लगा है। जन जागृति से स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं के हल प्राप्त होने लगे हैं।
- **नये कानून का प्रादुर्भाव –** औपचारिकता व अनौपचारिक माध्यमों के द्वारा सामाजिक नियंत्रण संभव है। अनौपचारिक माध्यम की कमजोरी पर औपचारिक माध्यम की सक्रियता बढ़ाई जाती है। तात्पर्य है कि रिवाज, रूढ़ी, मान्यताएँ व जनरीति से नियंत्रण प्राप्त नहीं होता है। तब कानून के द्वारा, नीतियों के द्वारा प्रयत्न किये जाते हैं। स्वच्छता व शौचालय संदर्भ में भी अनौपचारिक माध्यमों के कारगर न रहने पर नये कानून, पुलिस प्रशासन, न्यायालय आदि को अपनी भूमिका निभानी पड़ती है। पूर्व कानूनों में परिवर्तन करते हुए कई नये कानून लागू किये जा रहे है। कानून के जरिये जन जागृति फैलाने का प्रयास एक सामाजिक परिवर्तन है। शौचालय अब अनिवार्य हो गया है। भले ही शौचालय निर्माण को महँगा माना जा रहा है किन्तु लोग अब

समझने लगे हैं कि इसमें निवेश किये गये रुपयों से दीर्घकालीन कई खर्चो पर काबू प्राप्त किया जा सकता है। लोगों की रुढिवादी व पारंपरिक विचारधाराओ में भी बदलाव पैदा हुआ है। शौचालय व स्वच्छता के द्वारा सामाजिक क्रांति, सामाजिक परिवर्तन के सुपरिणाम प्राप्त हुए हैं।

निष्कर्ष :–

स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण स्वच्छता के महत्वपूर्ण बदलाव लाने और समाज को स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने में समर्थ रहा है। ग्रामीण परिवारों के सम्बन्ध में यह एक प्रमाणित सत्य है कि व्यक्ति अपने सामाजिक सम्पर्कों से ही शौचालय बनाने के लिये प्रेरित होता है। घर में शौचालय होना प्रतिष्ठा का कारण बन गया है। जैसे जागीर, धनसंपति व गहनों का महत्त्व है वैसे ही अब शौचालय को प्रतिष्ठा का कारक माना जा रहा है। गाँव के इज्जतदार लोगों में उनकी गिनती होती है, जिनके अपने घरों में शौचालय है। स्वच्छता के बारे में समझ और जागरूकता में सुधार के लिए सूचना, शिक्षा और संचार में प्रभावी निवेश एवं प्रचार–प्रसार की आवश्यक है। घरेलू स्तर पर प्लास्टिक सहित बायोडिग्रेडेबल और गैर–बायोडिग्रेडेबल घटकों में कचरे के पृथक्करण के महत्व को गैर सरकारी संगठनों, सामुदायिक नेताओं और निवासी कल्याण संघों के माध्यम से वृद्धि की जा सकती है।

संदर्भ सूची–

1. सिंह, निशांत. (2018): 'स्वच्छ भारत अभियान चुनौतियाँ एवं अवसर'. राधा पब्लिकेशन्स, प्रथम संस्करण, नई दिल्ली। पृ. 17
2. गाँधी का आदर्श मोदी का संकल्प (2–8 अक्टूबर 2017) सुलभ स्वच्छ भारत, साप्ताहिक समाचार पत्र। अंक 42, नई दिल्ली।
3. सुधीर, डॉ. सोनी. (2003): ''स्वच्छ भारत अभियान का ग्रामीणों पर प्रभाव'' विश्वविद्यालय प्रकाशन, जयपुर। पृ. 11
4. खान, एम. व वर्मा, पी. (2016): स्वच्छ भारत अभियान का ग्राम पंचायत स्तरीय आलोचनात्मक विश्लेषण (ग्राम पंचायत बकैनिया जिला पीलीभीत के विशेष सन्दर्भ में). इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एडवांस्ड रिसर्च एंड डेवलपमेंट Vol-1, Issue 8.
5. अस्थाना, मधु, (2008): पर्यावरणः एक संक्षिप्त अध्ययन, मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशन, दिल्ली।
6. खाँ, मोहम्मद इसरार राजपाल (2016) ''स्वच्छ भारत अभियान का विकास खण्ड स्तरीय आलोचनात्मक विश्लेषण (विकास खण्ड बहेड़ी जनपद बरेली उत्तर प्रदेश के विशेष संदर्भ में) International Journal of Academic Research and Development ISSN: 2455-4197, Page No, 61-68.

7. गुप्ता बंदना, (2009) 'नगर निगम की प्रबंधकीय व्यवस्था, वाराणसी, एक अध्ययन', प्रिंस पब्लिशिंग, मेरठ। ISBN 81-7769-7730.
8. धरवेश कठेरिया, निरंजन कुमार , प्रणव मिश्र, (2016) पर्यावरण संरक्षणः स्वच्छ भारत अभियान (एक कदम स्वच्छता की ओरः वाराणसी के विशेष संदर्भ में) दिव्या प्रकाशन, आगरा।
9. सिंह, निशांत. (2018): 'स्वच्छ भारत अभियान चुनौतियाँ एवं अवसर'. राधा पब्लिकेशन्स, प्रथम संस्करण, नई दिल्ली।
10. शुक्ल, डॉ. अरविन्द. (2016): 'स्वच्छ भारत अभियान चुनौतियाँ एवं अवसर'. प्रथम संस्करण, अराधना ब्रदर्स. कानपूर।